

संपादकीय

नाइंसाफी करता बुलडोजर

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया है, बावजूद इसके महाराष्ट्र और यूपी में ऐसी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बिना उचित सुनवाई दिए मकान गिराए जा रहे हैं, जो नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। प्रशासन की लापरवाही के चलते अवैध निर्माण रोकने में असफलता नजर आती है।

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर तल्लख टिप्पणी करनी पड़ी है। हैरत की बात है कि देश की शीर्ष अदालत के बार–बार कहने के बावजूद, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बुलडोजर के जरिये कथित इंसाफ की कोशिश जारी है, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने जिस घटना पर कहा कि यह उसकी अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है, वह प्रयागराज की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर उनके मकान गिरा दिए गए। इसी तरह, महाराष्ट्र के मालवण में एक कबाड़ व्यापारी के घर पर ++ बुलडोजर चलाने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय नगर परिषद को नोटिस जारी किया है। लेकिन सबसे ज्यादा चौकाती है नागपुर की घटना, जहां हाल में घटी हिंसा के आरोपियों के घर नगर निगम ने ध्वस्त करा दिए।

हर जगह पुलिस–प्रशासन के काम करने का तरीका एक जैसा दिखता है। जिस भी मामले से बड़े जनसमुदाय की भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनमें फटाफट आरोपियों की संपत्ति की नाप–जोख शुरू हो जाती है। एक दिन नोटिस जारी होता है और अगले दिन बुलडोजर पहुंच जाता है अपील करने तक का मौका नहीं दिया जाता, जो हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। नागपुर मामले में ही बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने आरोपियों की प्रॉपर्टी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी, लेकिन जब तक आदेश आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

प्रशासन का तर्क है कि निर्माण अवैध था। लेकिन, क्या बिना उचित सुनवाई के कार्रवाई करना वैध है? जो अवैध निर्माण बरसों से खड़ा है, जिस पर किसी अथॉरिटी की नजर नहीं जाती, अचानक वह इतना खतरनाक हो जाता है कि आनन–फानन में बुलडोजर चलाना पड़ता है। ऐसी ही तेजी सारे अवैध निर्माणों के खिलाफ क्यों नहीं दिखती? और इससे भी बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा अवैध निर्माण हो कैसे जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में कहा था कि दंडात्मक उपायों के रूप में बुलडोजर कार्रवाई असंवैधानिक है एक्शन से पहले नोटिस और सुनवाई का वक्त देना होगा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का उल्लेघन करने वाले अफसरों पर कार्रवाई तक की चेतावनी दी थी, लेकिन इसका असर होता नहीं दिख रहा और होगा भी क्यों, जब सरकारें खुद इसे प्रमोट करेंगी। इस पर रोक लगनी चाहिए।

अभित्यक्तित की स्वतंत्रता के मायने अराजकता नहीं

हरीश शिवनाजी

भारतीय राजनीति, साहित्य, संस्कृति और अकादमिक दायरों में जिस पदबंध का प्रयोग जोर-शोर से किया जाता है, वो है- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जितने जोर-शोर से इसे दोहराया जाता है उससे भी दोगुने मौकों पर इसका दुरुपयोग भी उतने ही खुले तौर पर किया जाता है। हालिया एक कॉमेडियन कुणाल कामरा के प्रकरण से ऐसा ही कुछ हुआ जा रहा है। जो लोग यह तर्क देते हैं कि अगर आप किसी से असहमत भी हों, तब भी आपको उनके बोलने के अधिकार का समर्थन करना ही चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर तभी प्रश्न उठाए जा सकते हैं जब वह हिंसा फैलाने में सहयोग कर रही हो। कुणाल कामरा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जबकि किसी के बोलने इसका व्यावहारिक और तर्कसंगत पहलू भी होना चाहिए कि उसके बोलने का वास्तविक मंतव्य, उद्देश्य क्या है।

कोई अगर कॉमेडी की आड़ या अन्य किसी भी नजरिए से किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय या किसी भी उद्देश्य से निर्मित समूह के प्रति सार्वजनिक रूप से अपभ्र-अशालीन-अमर्यादित भाषा-बोली का प्रयोग कर उसकी मानहानि करते हैं, सामाजिक रूप से अपमानित करते हैं, फूहड़ तरीके से हंसी-मखौल उड़ाते हैं या उसके हितों नुकसान करते हैं तो यह भी उसके प्रति वाचिक हिंसा, सार्वजनिक अपमान करना ही हुआ, इसे स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, बोलने का अधिकार या लोकतंत्र जा समर्थन तो कतई नहीं कहा-माना जा सकता। कुणाल कामरा ने पिछले दिनों

अपने कॉमेडी शो में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के तरफ संकेत कर जो कुछ कहा है, उसे समझना, उसके निहितार्थ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह महज कॉमेडी नहीं, विशुद्ध रूप से फूहड़ तरीके का राजनीतिक वक्तव्य है, किसी का सार्वजनिक अपमान, उसकी मानहानि है। भारत में दल-बदल कर सत्ता हासिल करने का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। 1977 और 1979 में हरियाणा में मुख्यमंत्री भजनलाल के समूची कैबिनेट सहित दलबदल करने का इतिहास तो जाना-पहचाना है ही, राजनीतिक मुहावरा आचाराम-गयाराम भी हरियाणा के एक विधायक की ही देन है।

अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की आड़ में हमें उन मूल्यों को भी नहीं भूलना चाहिए जो एक सभ्य, सुसंस्कृत, मर्यादित और शिष्ट समाज की बुनियाद होते हैं। इस समाज में अनियंत्रित, निरंकुश कुछ भी नहीं होता। अनुशासन, मर्यादाओं की एक सीमा-रेखा होती है। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत नागरिकों को दी गई है। हालांकि यह भी असीम नहीं है। इसे अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन रखा गया है। हर अभिव्यक्ति के मायने अराजकता नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक मूल्यों

दिनों महरंग बलूच को हिरासत में ले लिया। दरअसल, बीएलए के लगातार बढ़ते हमलों के बाद पाक सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन का दमन तेज कर दिया है, जिसकी चपेट में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. महरंग भी आई है।

उल्लेखनीय है कि महरंग के पिता अब्दुल गफ्फर मल्लोव एक राष्ट्रवादी बलूच नेता थे। वर्ष 2009 में उनका सुरक्षा बलों ने अपहरण कर लिया था। जिसके तीन साल बाद उनकी लाश बुरी स्थिति में मिली थी। लेकिन आज महरंग पाक दमन के खिलाफ एक मुखर आवाज बन चुकी है। बहराल, हाल के बीएलए के एक के बाद एक बड़े हमलों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। खासकर, हालिया ट्रेन अपहरण के मामले ने, जिसने बलूचों की अस्मिता के संघर्ष की, आवाज को दुनिया को सुनाया है।

नईदुनिया

अद्वितीय है वैदिक संवत्सर की धारणा

हृदयनारायण दीक्षित

नवसंवत्सर

काल का स्वागत। काल सुंदर रथ पर सवार है। यह हर बरस मधुमय नवसंवत्सर लाता है। काल सर्वशक्तिमान देवता हैं। अथर्ववेद (9–53) के ऋषि भृगु ने उनकी महिमा गायी है, काल–अश्व विश्वरथ का नियन्ता है। वह सहस्त्र आंखों वाला है। सबको देखता है। समस्त लोक कालरथ के चक्र हैं। ज्ञानी इस रथ पर बैठते हैं। यह काल सात चक्रों का वाहक है। इसकी सात नाभियां हैं। इसकी धुरी में अमृत है। ज्ञानी इस काल को विभिन्न रूपों में देखते हैं। कैसे देखते हैं? भृगु ने बताया है, काल से ही सृष्टि सर्जक प्रजापति आये। काल स्वयंभू है। वह स्वयं किसी से नहीं जन्मा। काल से ही विश्वजन्मा। काल में तप हैं। काल में मन है। काल में ज्ञान है। काल विश्व पालक और सबका पिता तथा पुत्र है। काल में पृथ्वी की गतिशीलता है। काल से ही सूर्योदय और सूर्यास्त हैं। काल में ही भूत, भविष्य और वर्तमान हैं। सृष्टि का उद्भव शून्य से नहीं हो सकता। सृष्टि रचना के पहले कोई एक आदि द्रव्य है। इसी आदि द्रव्य में सृष्टि का समूचा पदार्थ–जड़ और समस्त ऊर्जा–चेतन एकत्रित है। फिर आदि द्रव्य में परिवर्तन हुआ, जो अव्यक्त था, अप्रकट था वह व्यक्त हुआ। प्रत्येक परिवर्तन का मूल गति है। गति से ही काल बोध है। वैदिक निरुक्त में यास्क ने काल का सम्बंध गति से जोड़ा है।

काल अखण्ड सत्ता है। काल पिता है, वही पुत्र भी है। काल की अनुकम्पा आयु है, काल का कोप मृत्यु है। काल में सर्जन है, काल में ही विसर्जन है। भारतीय कालबोध ऋग्वेद से भी पुराना है। यही कालबोध प्राचीन काल में ईरान पहुंचा। अथर्ववेद में जो काल है। वही ईरानी ग्रंथ वेवेस्ता में जुर्वान है। जैसे अथर्ववेद का काल प्रतिष्ठित देवता है, वैसे ही अवेस्ता का जुर्वान भी एक देव है। भारतीय काल सबका नियन्ता है और प्रजापति का पिता है। इसके भीतर प्रकाश और अंधकार है। दिवस और रात्रि है। जुर्वान भी अनंत है। संसार के रचयिता अहुरमज्दा उसकी संतान हैं। अहुरमज्दा भारतीय प्रजापति हैं। इस विचार के अनुसार जब न आकाश था, न



पृथ्वी, न कोई जीव तब जुर्वान था। यहां सीधे ऋग्वेद के सृष्टि सूक्त की प्रतिध्वनि है। भारतीय नववर्ष की शुरुआत किसी ऋषि, महात्मा या महापुरुष की जन्मतिथि से नहीं होती। बेशक इस तिथि में अनेक महापुरुष उगे, अनेक निर्वाण को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर विक्रमादित्य सहित अनेक पूर्वजों ने अपने नवसंवत्सर भी चलाये। अंग्रेजी कालगणना ईसा से शुरू होती है। लेकिन प्रथम नवसंवत्सर का प्रथम आलोक, प्रथम दिवस और प्रथम तिथि की गणना अन्तही है। सृष्टि जिस क्षण शुरू होती है, उसी समय संवत्सर का प्रारम्भ हो जाता है। संवत्सर का प्रारम्भ सार्वभौमिक है। नवसंवत्सर व्यक्त सृष्टि का प्रथम ऊषाकाल है। यह सम्पूर्ण जगत् का प्रथम सूर्योदय है। सृष्टि ब्रह्म का प्रथम सुप्रभात है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष है। वैदिक संवत्सर की धारणा अद्वितीय है।

प्रकृति अजन्मा है। ऋग्वेद (10.82.6) के अनुसार सृष्टि के आदि से ही विद्यमान वह एक अज–अजन्मा है। इसी अज की नाभि में सभी भुवन समाहित थे। अज आधुनिक ब्रह्माण्ड विज्ञानियों का कासमोस है। अज गतिशील हुआ। गति से परिवर्तन आया। विज्ञान की दृष्टि से प्रत्येक सृजन/परिवर्तन के पीछे एक ऊर्जा है। प्रकृति की शक्तियां उर्गीं। ऋषियों के अनुसार वे देवता थीं। ऋषि कहते हैं, व्यापक जलों में देवता थे–यद् देवा सलिले सुसंख्या अतिष्ठ। उनके नृत्य से तेज गति वाले रेणु अणु–परमाणु प्रकट हुए। (10.72.6) ऋग्वेद (10.190.1, 2) में कहते हैं, तप से ऋत व सत्य (व्यक्त जगत्)

प्रकट हुए। अंधकार–रात्रि और अगाध जल समुद्र आये। समुद्रों से संवत्सर प्रकट हुआ–समुद्रार्द्रण वादधि संवत्सरों अजायत। सृष्टि के साथ काल उगा। इसी काल का प्रथम दर्शन संवत्सर है।

सृष्टि छान्दोग्य है। इसका अन्तस् छन्दस् है। छन्द की अपनी लय होती है। प्रकृति सदा से है। यह लय में प्रकट होती है और प्रलय में अप्रकट। प्रलय में भी लय बची रहती है। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहते हैं, वह वायुहीन स्थिति में भी अपने दम पर सांस ले रहा था–आनादीवातं स्वधया तदेक। स्वधा प्रकृति की अनंत प्राण ऊर्जा है। इसलिए वायु नहीं है तो भी सांस जारी है। ऋग्वेद का वह एक–तदेकं बड़ा दिलचस्प है। इसी वह एक को विद्वान–विप्र इन्द्र, मित्र, अग्नि मातरिश्वन गरूण आदि देव नामों से पुकारते हैं लेकिन वह एकं सद–एक ही सत्य है–एकंसद् विप्रा बहुधा वदन्ति। (ऋ 1.164.46) सृष्टि सृजन परिवर्तन की ही सतत् प्रवाही कार्रवाई है। परिवर्तन के भीतर गति होती है। जहां गति है, वहीं समय है।

सृष्टि और प्रलय सतत् प्रवाही हैं, लेकिन प्रलयकाल में भी समूची ऊर्जा का नाश नहीं होता। प्रलय के बाद फिर से सृष्टि होती है। गति का मूल ऊर्जा है। ऊर्जा अविनाशी है। गति का नाश नहीं होता। समय भी अविनश्वर है। सृष्टि बार–बार आती है। यह चक्र की तरह है। सीधी रेखा नहीं। भारतीय दर्शन में इसीलिए कालचक्र है। उसका पहिया घूमता है और बार–बार सृष्टि व प्रलय लाता है। प्रकृति में द्वैत दिखाई पड़ते हैं–यहां रात–दिन हैं। जीवन–मृत्यु हैं।

प्रकाश–अंधकार हैं। रात्रि ऋत है, दिन सत्य है। दिन ज्ञान है, रात्रि तमस हैं। दिन सक्रियता है, रात्रि विश्रांति है। सृष्टि अपने छन्दस् में गतिशील है। काल रथ का पहिया घूम रहा है। पूर्वजों में कालबोध था। कालबोध ही इतिहासबोध है।

भारतीय कालगणना के पहले कालबोध है। फिर कालगणना है। इस गणना में सृष्टि की आयु एक अरब 95 करोड़, 58 लाख, 85 हजार एक सौ तेरह वर्ष हो चुकी है। वैज्ञानिक अनुमान भी यही हैं। इस संवत्सर का केन्द्र सूर्य हैं, पूरा सौर–परिवार है। ऋग्वेद (1.164) में कहते हैं सूर्य को हमने सात पुत्रों–किरणों (वर्णों) के साथ देखा है। इनके मध्यम भाई वायु हैं, उनके तीसरे भाई अग्नि हैं। ऋत का 12 अरों वाला चक्र इस द्युलोक में घूमता है। यह चक्र कभी जीर्ण नहीं होता। इसके 720 पुत्र इस चक्र में हैं। यहां ऋत प्रकृति की व्यवस्था है और अरे 12 माह हैं। एक वर्ष में दिन रात मिलाकर 720 अहोरात्र हैं। विश्वदर्शन, काव्य सृजन या चिन्तन की किसी भी पद्धति में काल का ऐसा अध्ययन विवेचन और विश्लेषण नहीं मिलता। सृष्टि सर्जन के पहले काल बोध नहीं है, संवत्सर भी नहीं है। संवत्सर और सृष्टि साथ–साथ।

टाइम और काल (समय) पर्यायवाची नहीं है। काल अखण्ड है, टाइम इसके खण्ड का माप है। ऋग्वेद में कहते हैं, जो अब तक हो चुका और भविष्य में जो होगा वह सब अदिति हैं। वह सब यही पुरुष है। वैदिक अनुभूति में समूची कालसत्ता अखण्ड है। यूरोपीय दृष्टि में भूत–पास्ट एक टेन्स–तनाव है। भूत का अस्तित्व वर्तमान में स्मृति है। इसी तरह प्यूचर टेन्स भविष्य का आकर्षण है। तनाव मस्तिष्क गत कार्रवाई है। प्रजेन्ट प्यूचर या पास्ट टेन्स कालगणना नहीं है। भारतीय कालबोध का क्षण सृष्टि की शुरुआत है। फिर युग है। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद यानी ईसा पूर्व 3103 वर्ष से कलियुग चल रहा है। युगाव्ध की दृष्टि से भारत की 52वीं सदी है। विक्रम संवत् की दृष्टि से यह 2082 विक्रम है। लेकिन ईसा की दृष्टि से यह 21वीं सदी ही है। भारत की प्रतीति, अनुभूति वैज्ञानिक है। भारतीय नवसंवत्सर, अंतरराष्ट्रीय नववर्ष पर सबको शुभकामनाएं।

आजकल

न्याय की संवेदनशीलता

विगत 17 मार्च को आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला पिछले दिनों पूरे देश में सवालों के घेरे में था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाकर न्याय की संवेदनशीलता को संबल दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर महिला सठनों व बौद्धिक वर्गों में तल्लख प्रतिक्रिया देखी जा रही थी। यहां तक कि महिला संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। शीर्ष अदालत के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने माना कि फैसला न केवल असंवेदनशील है बल्कि अमानवीय नजरिया भी दर्शाता है। जिसके चलते इस फैसले पर रोक लगाना आवश्यक हो जाता है।

बेंच ने माना कि फैसला लिखने में संवेदनशीलता की कमी दृष्टिगोचर होती है। कोर्ट का मानना था कि जब फैसला चार माह तक सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया तो यह नहीं कहा जा सकता कि इस पर गंभीर मंथन नहीं हुआ। वहीं शीर्ष अदालत ने इस मसले पर केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की निंदा की।

दरअसल, विवाद इस बात को लेकर हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पीड़िता किशोरी के स्तनों को छूना व पायजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश नहीं माना जा सकता। उल्लेखनीय है कि यह मामला उत्तर प्रदेश के कासरगंज जनपद के पटियाली थाना क्षेत्र में एक किशोरी से जुड़ा था, जिसके बाबत जस्टिस राममनोहर नारायण मिश्रा ने यह विवादित फैसला दिया था। इस एकल पीठ का कहना था कि मामले में तथ्यों व आरोपों के आधार पर तय करना संभव नहीं है कि बलात्कार का प्रयास हुआ था। जिसके लिये अभियोजन पक्ष को सिद्ध करना था कि अभियुकों का यह कदम अपराध करने की तैयारी के लिये था। दरअसल, इसी के मद्देनजर देश में फैसले के खिलाफ तल्लख प्रतिक्रिया देखी गई। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ का कहना था कि दुराचार करने की कोशिश और अपराध की तैयारी के बीच के अंतर को सही ढंग से समझना चाहिए।

हुए हैं। ऐसे में दमन व अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली बलूचिस्तान की शेरनी महरंग बलूच को गिरफ्तार करने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा की है। बलूचों की आवाज दबाने के सवाल भी उठ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दुनिया की चर्चित टाइम मैगजीन ने महरंग को दुनिया के सौ उभरते नेताओं में शामिल किया है। महरंग को तब गिरफ्तार किया गया था जब वे क्वेटा में दमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। उन पर देशद्रोह व आतंक फैलाने जैसे आरोप लागए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे कुछ प्रदर्शनकारी भी इस कार्रवाई के दौरान मारे गए।

बलूच यकजेहती कमैटी के तत्वावधान में आंदोलन की अगुआ बनी महरंग बलूच की गिरफ्तारी के खिलाफ बलूचिस्तान में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। सोशल मीडिया के जरिये उनकी गिरफ्तारी का विरोध

बलूचिस्तान की शेरनी महरंग से सहमा पाक

दरअसल, बलूचिस्तान के लोगों की आवाज बन चुकी, नई पीढ़ी की नेता महरंग की गिरफ्तारी पाक हुक्मरानों की हलाश का ही नतीजा है। वास्तव में पाक सेना व खुफिया संगठनों द्वारा पिता की हत्या के बाद महरंग ने प्रतिरोध की आवाज बनने का फैसला किया था। पिता की मौत के बाद सुरक्षा बलों ने उनके भाई को भी वर्ष 2017 में उठा लिया था। उन्हें तब तीन माह तक हिरासत में रखकर यातनाएं देने के बाद छोड़ा गया। उसके बाद महरंग ने तय किया कि वह गैरकानूनी रूप से लोगों को उठाने और उनकी हत्या के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगी। उन पर आज तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं, लेकिन महरंग पीछे मुड़कर देखने

को तैयार नहीं हैं। वे कहती हैं कि बलूच लोग बिना अत्याचार के स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। हम हिंसा व भय से मुक्ति चाहते हैं। हजारों लोगों के गायब होने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। दरअसल, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यह प्रांत पाक का 44 फीसदी भू–भाग रखता है। यह गैस, सोना व तांबा आदि दुर्लभ खनिजों व प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। जिस पर चीन समेत दुनिया के देशों की नजर है। वास्तव में जब भारत विभाजन हुआ तो पाक हुकमरानों ने बलूचिस्तान के कबाइली नेताओं को स्वायत्तता देने का वायदा किया। लेकिन बाद में राष्ट्रवादी बलूच नेताओं को धोखा देकर वहां सेना के बल पर दमन शुरू कर दिया।

कालांतर में दमन के विरोध में कुछ प्रतिरोधियों ने बंदूकें उठा ली। उनका आरोप था कि पाकिस्तान ने यहां के प्राकृतिक संसाधनों का निर्मम दोहन तो किया लेकिन पंजाब में, शेप पाक व पाकिस्तानी संजाब में नहीं। इसके विरोध में ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों का उदय हुआ।

वास्तव में इस सबसे अमीर प्रांत की जनता बदहाली का जीवन जी रही है। यहां सड़कों, बिजली, पानी व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। चीन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के चलते यहां विदेशी पत्रकारों तक के जाने का वायदा है। इस राज्य के प्राकृतिक संसाधनों व संप्रभुता को चीन के हवाले किए जाने से इस क्षेत्र में सशस्त्र प्रतिरोध के सुर तेज

किया जा रहा है। लोग उनके पिता के बलिदान व महरंग के योगदान को याद कर रहे हैं। बलूच लोग इस बत्तीस वर्षीय युवा बलूच नेता में अपनी उम्मीदों का अक्स देखते हैं। उनका मानना है कि उनके प्रतिरोध से बलूच नागरिकों का लापता होने का सिलसिला रुकेगा। उन्हें विश्वास है कि देर–सवेर पाक हुक्मरानों को उनके दमखम के अगोे झुकना ही पड़ेगा। वैसे हाल के दिनों में डॉ. महरंग के प्रयासों से यह बदलाव देखने में आया है कि बलूच राष्ट्रीय अस्मिता का आंदोलन अब युवा प्रतिरोध का प्रतीक बनता जा रहा है। विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्र बलूच आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। पाक के दमन के बावजूद उनके प्रतिरोध के सुर मुखर हो रहे हैं। इतना ही नहीं जैसे–जैसे पाक सेना व खुफिया एजेंसियों का दमन बढ़ रहा है, युवा हथियार उठाने को मजबूर हो रहे हैं।